उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-25/2019/1702/तीस-4-2019-7के0एम0/85
लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

सरकारी विभागों की गाड़ियों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु प्राईवेट गैराजों को मान्यता प्रदान करने हेतु मानक शर्तो, नियमावली, कार्य प्रणाली के संलग्न परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' के अनुसार निर्धारित किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-742/30-4-2000-7के0एम0/85, दिनांक 11 अगस्त, 2000 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के परिशिष्ट ''क'' के संलग्नक ''विभिन्न श्रेणी के गैराजों के लिये आवश्यक उपकरण/मशीन की सूची में उल्लिखित ''ए'' श्रेणी के गैराज से संबंधित उपकरणों की सूची के क्रमांक-23 के रूप में ''हेड लाईट फोकस जांच यंत्र'' को जोड़े जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1)- हेड लाईट फोकस जांच यंत्र को स्थापित किये जाने हेतु वर्तमान में क्रियाशील 'ए' श्रेणी के गैराजों को 02 माह का अतिरिक्त समय कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से प्रदान किया जाय।

(2)- उक्त यंत्र को स्थापित न किये जाने की दशा में संबंधित गैराज के विरूद्ध मान्यता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाय।

2- पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-742/30-4-2000-7के0एम0/85, दिनांक 11 अगस्त, 2000 की अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-25/2019/1702/तीस-4-2019-7के0एम0/85 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त विभागाध्यक्षों/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त सार्वजनिक उद्यम/निगमों के प्रबन्ध निदेशक।
7- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
9- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया शासनादेश की 100 प्रतियाँ छपवाकर परिवहन अनुभाग-4 उ0प्र0 सचिवालय, बापू भवन, लखनऊ को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।